परिशिष्ट व्यय का विवरण

(आदेश सं0 सी– 667 दिनांक 28.06.2010 के प्रस्तर 5 के अनुसार)

1 माह – [illegible] । जनपद– बुलन्दशहर।

2 लाभार्थी संस्था...खाद्य एवं रसद विभाग विभाग उत्तर प्रदेश की विपणन शाखा बुलन्दशहर।

3 अवधि माह जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक तीन माह का प्राइमरी 6304.90 + उच्च प्रा0– 3627.00– 9931.90

4 आरएफपी संख्या: 119/120 दिनांक 24.09.2013

5 बिल नम्बर .... दिनांक ... .

क्र0सं0	विपणन	ब्लाक	बफर स्टाक कुन्तल में		दर (रू0 75.00 प्रति कुन्तल)	कुल धनराशि
			एफसीआई के माध्यम	ब्लाक वितरण केन्द्रों को पहुँचाई गई मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	858.66250	858.66250	64399.6875	64399.6875
2	गुलावठी	गुलावठी	384.78000	384.78000	28858.5000	28858.5000
3	[illegible]	[illegible]	730.89150	730.89150	54816.8625	54816.8625
4	[illegible]	[illegible]	383.54650	383.54650	28765.9875	28765.9875
5	[illegible]	[illegible]	328.12800	328.12800	24609.6000	24609.6000
6	[illegible]	[illegible]	521.43450	521.43450	39107.5875	39107.5875
7	[illegible]	[illegible]	707.59100	707.59100	53069.3250	53069.3250
8	[illegible]	[illegible]	628.08075	628.08075	47106.0563	47106.0563
9	[illegible]	[illegible]	803.00000	803.00000	60225.0000	60225.0000
10	[illegible]	[illegible]	567.03050	567.03050	42527.2875	42527.2875
11	[illegible]	[illegible]	564.33600	564.33600	42325.2000	42325.2000
12	[illegible]	[illegible]	812.34450	812.34450	60925.8375	60925.8375
13	[illegible]	[illegible]	679.85650	679.85650	50989.2375	50989.2375
14	[illegible]	[illegible]	955.44950	955.44950	71658.7125	71658.7125
15	[illegible]	[illegible]	1006.76825	1006.76825	75507.6188	75507.6188
	योग		9931.90000	9931.90000	744892.5000	744892.5000

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1 बिल प्रस्तुत कर भुगतान हेतु प्रस्तुत है

2 संलग्नक –3 में वर्णित खाद्यान्न की मात्रा प्रस्तुत में ब्लाक मोहल्ले तक लाभार्थी संस्था द्वारा पहुँचाई गयी है।

3 प्रमाणित किया जाता है कि निगम/ विभाग द्वारा रेशिन बस्ता तौल इंस्पेक्शन रजिस्टर/ गोदाम रजिस्टर/ गोदाम रक्षक रजिस्टर/ परिवहन/ एफ0सी0आई0 आदि पर मूल रूप 75.00 प्रति कुन्तल से अधिक किराया नहीं है परिवहन की दूरी प्रतिरूपात्मक तौर/ जिलाधिकारी दर के आधार पर सुनिश्चित है

जिला खाद्य विपणन अधिकारी

बुलन्दशहर

[illegible]